भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2348 उत्तर देने की तारीखः 13.12.2021

भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन

†2348. श्री संगम लाल गुप्ताः

श्री डी.के.सुरेश:

श्री कृष्णपालसिंह यादव:

श्री पी.पी. चौधरी:

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

श्री राजबहादुर सिंह:

श्रीमती अपराजिता सारंगी:

श्री राजेन्द्र अग्रवालः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) विद्यालयों में भाषा और शिक्षा के माध्यम को थोपने से बचने के लिए नीति के तहत क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) उक्त नीति के कारण प्रवासी बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों को सुकर बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (घ): जी, हां। भारत सरकार की नीति, सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की है और इस संबंध में कई उपाय किए गए हैं। हिंदी, उर्दू, सिंधी और संस्कृत भाषाओं के विकास और प्रसार के लिए अलग-अलग संगठन हैं। संस्कृत भाषा का तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों यथा: केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के माध्यम से प्रसार किया जाता है। हिंदी का प्रसार केंद्रीय

हिंदी संस्थान (केएचएस) आगरा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय (सीएचडी), नई दिल्ली और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी), नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। सिंधी का प्रसार नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज (एनसीपीएसएल), नई दिल्ली के जिरए और उर्दू का प्रसार नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज (एनसीपीयूएल), नई दिल्ली के जिरए किया जाता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर अनुसूचित गैर-अनुसूचित और शास्त्रीय भाषाओं जैसे कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उडिया सहित सभी भारतीय भाषाओं के प्रसार के लिए काम करता है। शास्त्रीय तिमल का विकास और प्रसार, केंद्रीय शास्त्रीय तिमल संस्थान (सीआईसीटी), चेन्नई द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में यह प्रावधान है कि जहां संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम गृह भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा होगी। इस नीति में यह भी प्रावधान है कि उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें, गृह भाषा/मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाएंगी और शिक्षकों को शिक्षण के दौरान द्विभाषी पद्धति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिक उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) और उच्च शिक्षा में अधिक कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/स्थानीय भाषा का उपयोग किया जाएगा और/अथवा कार्यक्रम द्विभाषी रूप से प्रस्तावित किए जाएंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम स्थानीय भाषाओं में भी प्रस्तावित करने की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब तक 10 राज्यों के 19 संस्थानों ने ऐसे पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव शुरू कर दिया है। एआईसीटीई ने अंग्रेजी भाषा के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का 11 भारतीय भाषाओं में अन्वाद करने के लिए एआईसीटीई ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल नामक एक उपकरण विकसित किया है। स्वयम मूक पोर्टल पर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए संदर्भ सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं में अन्वाद उपलब्ध कराया जाता है। सरकार के दीक्षा पोर्टल पर कक्षा 1-12 के लिए पाठ्य-प्रत्तकों और शिक्षण संसाधनों सहित पाठयक्रम सामग्री, 33 भारतीय भाषाओं और भारतीय सांकेतिक भाषा में उपलब्ध है। जेईई और एनईईटी परीक्षाएं अब 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाती हैं।
